विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),कोर्ट संख्या-03, जनपद-पीलीभीत

पीठासीन अधिकारी: महेशा नंद झा, एच.जे.एस. जे.ओ. कोड -यू.पी. 6289

विशेष सत्र परीक्षण सं.-171/2026

UPPB010005172026

Presented on : 03-02-2026
Registered on : 03-02-2026
Decided on : 31-03-2026
Duration : 0 years, 1 months, 28 days

उ०प्र० राज्य ---------- बनाम ---------- ललित राज पांडे।

मु.अ.सं.-112/2025
धारा-8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट।
थाना-हजारा, जनपद-पीलीभीत।

शिकायतकर्ताः	उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उ०नि० श्री राज कुमार
शिकायतकर्ता के अधिवक्ताः	विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) श्री संजय कुमार पांडेय
अभियुक्त	ललित राज पांडे पुत्र मदन राज पांडेय निवासी-ग्राम बेलाडांडी वार्ड नं-2, थाना-बेलाडांडी, जनपद-कंचनपुर, नेपाल राष्ट्र।
अभियुक्त के अधिवक्ताः	एड० श्री सद्दाम हुसैन, पीलीभीत।

निर्णय

(1) *प्रारंभिक:-* प्रस्तुत विचारण का प्रारंभ थाना-हजारा की पुलिस द्वारा अभियुक्त ललित राज पांडे पुत्र मदन राज पांडेय निवासी-ग्राम बेलाडांडी वार्ड नं-2, थाना-बेलाडांडी, जनपद-कंचनपुर, नेपाल राष्ट्र के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-112/2025, अंतर्गत धारा-8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में अन्वेषणोपरांत आरोप पत्र अंतर्गत धारा-8/21 एन.डी.पी.एस. में प्रस्तुत करने से हुआ। उक्त वाद को विशेष सत्र परीक्षण संख्या-171/2026 के रूप में पंजीकृत किया गया।

(2) *संक्षिप्त तथ्य:-* वादी मुकदमा उ०नि० श्री राज कुमार द्वारा थानाध्यक्ष थाना हजारा के समक्ष दिनांक 03.12.2025 को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र/फर्द बरामदगी प्रस्तुत

(महेशा नंद झा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट), कोर्ट संख्या-03, पीलीभीत।

Digitally signed by MAHESHA NAND JHA
Date: 2026.03.31 15:56:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया गया जिसके उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये अभिकथनों के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है किः-

(i) यह कि, दिनांक 03.12.2025 को वह मय हे.का. गौरव कुमार के बहवाले रपट नं-21 समय 17.55 बजे रवाना होकर अन्दर क्षेत्र चौकी कम्बोजनगर के ग्राम टाटरगंज में मामूर था। जब पुलिस वाले गस्त करते हुए पीलर नं0 784 पर पहुँचे तो वहां पूर्व से तैनात पूरी SSB टीम सहायक कमान्डेट श्री जोगेन्द्र सिंह ASI श्री हरीश कुमार गौड हे0 का0 कोठाले सतीश पराजी, का0 गुंजन कुमार, का0 मौ० अखतर के सामूहिक रुप से भारत नेपाल सीमा पर पीलर नं0 784 से गस्त करते हुए पीलर नं0 783 की तरफ जा आ रहे थे तो मखबिर खास सूचना मिला कि एक सन्दिग्ध व्यक्ति जिसके पास अवैध मादक पदार्थ है जो बिक्री करने के लिए नेपाल ले जा रहा है।

(ii) यह कि, मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उसके द्वारा अपने मोबाईल से थानाध्यक्ष को उनके सी.यू.जी. नं0 पर अवगत कराया गया तो उनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु कहा गया। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए उसके द्वारा सूचना को पुलिस पुलिस अधीक्षक को देने हेतु रिपोर्ट तैयार की गयी तथा वास्ते गवाही जनता को गवाहन फराहम करने का प्रयास किया गया, परन्तु रात्रि का वक्त होने के कारण कोई नहीं मिला तो पुलिस वाले व SSB टीम मय मुखबिर के एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर मय हमराही कर्मचारी मय SSB टीम के मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर चल दिये। जब पुलिस वाले व SSB टीम मय मुखबिर पीलर नं0 783 से पहले गन्ने के खेत मे आड लेकर संदिग्ध व्यक्ति का इन्तजार करने लगे कुछ देर बाद मुखबिर ने इशारा करके बताया कि साहब सामने जो व्यक्ति आ रहा है वही व्यक्ति है उसके पास अवैध मादक पदार्थ है और मुखबिर चला गया तो हम पुलिस वालो ने व SSB टीम के सिखलाये हुए तरीके से जैसे ही पास आया टार्च की रोशनी टीम के द्वारा दिखाते हुए उस व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो यह व्यक्ति हम पुलिस वालो को देखकर सकपकाया तथा पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा तो हम पुलिस वालो ने व SSB टीम ने आवश्यक बल प्रयोग कर भाग रहे व्यक्ति को दबे पाँव चल कर भागने का मौका दिये बिना ही पीलर नं0 783 से पहले 100 कदम पर खेर घोटकर समय करीब 20.28 बजे पकड लिया तथा नाम पता

पूछा तो उसने अपना नाम ललित राज पाण्डे पुत्र मदनराज पाण्डे निवासी ग्राम बेलडान्डी थाना बेलडान्डी जिला कंचनपुर नेपाल उम्र 25 वर्ष बताया।

(iii) यह कि, पकडे गये व्यक्ति से भागने का कारण पूछा तो एक दम सहम कर बोला उसके पास स्मैक है। वह डर के कारण भाग रहा था। पकडे गये व्यक्ति को उसकी तलाशी राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराये जाने के अधिकार से अवगत कराया गया तो व्यक्ति ने सहमति से सिर हिलाया। पुनः जनता के गवाहन फरहान करने का प्रयास किया गया तो जंगल होने के कारण कोई नहीं मिला तो क्षेत्राधिकारी को उनके मो0 नं0 9454401335 पर पूरी घटना से अवगत कराया गया तथा मौके पर आने के लिए बताया गया तो क्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया कि वह मौके पर आ रहे हैं। कुछ समय के पश्चात क्षेत्राधिकारी, पूरनपुर प्रतीक दहिया मौके पर उपस्थित आये।

(iv) यह कि, क्षेत्राधिकारी द्वारा पकडे गये व्यक्ति की जामा तलाशी लेने से पूर्व सहमति पत्र उसके द्वारा तैयार कराया गया। क्षेत्राधिकारी के समक्ष उसके द्वारा पकडे गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो पकडे गये व्यक्ति के लोवर से दाहिनी जेब से दो अदद सफेद रंग की पन्नी जिसके अन्दर कुछ मादक पदार्थ जो प्रथम दृष्टया स्मैक दिखायी दे रहा है, बरामद हुआ। क्षेत्राधिकारी द्वारा बरामद मादक पदार्थ स्मैक को तौलने के लिए का. गौरव कुमार तराजू लेने भेजा गया तो कुछ देर बाद हे0 का0 गौरव कुमार तराजू लेकर घटना स्थल पर आया तो उसके द्वारा बरामद माल को तौला गया तो कुल वजन 6.99 ग्राम आया। पकडे गये व्यक्ति से मादक पदार्थ रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा और गिडगिडाकर अपने जुर्म की माफी मांगने लगा। बरामद सम्पूर्ण माल को मौके पर ही एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे मे पन्नी सहित रख कर सील सर्वे मोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया तथा परीक्षण हेतु नमूना न्यायालय के समक्ष नियमानुसार निकाला जायेगा। पकडे गये व्यक्ति को इसके जुर्म धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराकर समय करीब 22.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। दौराने गिरफ्तारी मानव अधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशो का पूर्णतया पालन किया गया तथा धारा 105 भा.ना.सु.सं. के प्रावधानों का पालन किया गया गिरफ्तारी मैमो मौके पर तैयार किया गया समस्त कार्यवाही की विडीयोग्राफी हे0 का0 गौरव

कुमार के फोन से बनवायी गयी। अभियुक्त को गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनो को थाने पहुँच कर दी जायेगी। फर्द मौके पर क्षेत्राधिकारी पूरनपुर की मौजूदगी मे उसके द्वारा टार्चों की रोशनी मे तैयार की गयी तथा हमराहीगणो को पढकर सुनाकर अलामात बनवाये गये।

(v) यह कि, उपर्युक्त कथन करते हुए वादी मुकदमा ने अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया, जिसके आधार पर अभियुक्त ललित राज पांडे के विरूद्ध मु.अ.सं.-112/2025 अंतर्गत धारा-8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीकृत किया गया।

(3) *अन्वेषण के संबंध में*:- उपर्युक्त मामले का अन्वेषण अन्वेषक अधिकारी द्वारा किया गया जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा मुकदमा वादी की निशानदेही पर घटना स्थल की नक्शानजरी बनाया तथा नमूना माल स्मैक का परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बरेली से कराया गया तथा मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरान्त संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा-8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

(4) *आरोप के संबंध में:-* इस न्यायालय द्वारा आरोप-पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को विचारण हेतु न्यायालय आहूत किया गया। अभियुक्त के न्यायालय आने पर उसे धारा-207 दं.प्र.सं. के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दी गयी व दिनांक 03.02.2026 को अभियुक्त ललित राज पांडे के विरूद्ध अंतर्गत धारा-8/21 में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा दोषी न होने का अभिवाक करते हुए विचारण किये जाने का दावा किया। उभयपक्षों द्वारा कोई अन्य साक्ष्य न दिये जाने का कथन किया गया।

(5) *बयान अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. के संबंध में.:-* अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में अभिलिखित किया गया है, जिसमें अभियुक्त ने घटना को सही बताया तथा तथ्य के साक्षी द्वारा दिये गये अभिसाक्ष्य को सही बताया है। अभियुक्त द्वारा यह भी कथन किया गया है कि यह उसकी पहली गलती है तथा उसके द्वारा भविष्य में कोई अपराध न कारित करने का

आश्वासन दिया गया है। विद्वान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया। अभियुक्त की ओर से बचाव में अलग से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय कुमार पांडेय तथा प्रतिरक्षा पक्ष के फाजिल अधिवक्ता श्री सद्दाम हुसैन के बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

(7) *अभियोजन पक्ष की दलायल:-* विद्वान सहायक अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपनी बहस में कहा गया है कि यदि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। साक्ष्योपरांत अभियुक्त की ओर से साक्षी से जिरह की गयी है जिसमें वह अपने पक्ष में कुछ भी अभिप्राप्त करने में असफल रहा है। अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया कि साक्षी द्वारा सही बयान दिया गया है तथा वह भविष्य में कोई अपराध कारित नहीं करेगा। यह उसकी पहली गलती है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्षी के परिसाक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन कथानक पूर्णतः साबित है तथा अभियुक्त लगाये गये आरोपों से दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

(8) *प्रतिरक्षा पक्ष की दलायल:-* उपर्युक्त के प्रतिकूल प्रतिरक्षा पक्ष के फाजिल अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है। अन्य दलीलों के साथ साथ यह दलील दी गयी है कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह किसी मामले में दोषसिद्ध हुआ है। अभियुक्त के पास से फर्जी बरामदगी दर्शाई गयी है। अतः अभियुक्त लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(9) *अवधार्य प्रश्न:-* प्रस्तुत मामले में अवधार्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या दिनांक 03.12.2025 को समय करीब 17.55 बजे वाहद स्थान-सीमा स्तंभ सं.-781/1 ग्राम टाटरगंज थाना-हजारा, जिला-पीलीभीत में अभियुक्त ललित राज पांडे के पास से 06.99 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है, जिसको रखने का उसके पास कोई लाईसेंस नहीं था?

निष्कर्ष

(10) *<u>अभियोजन परिसाक्ष्य का विश्लेषण:-</u>*अभियोजन पक्ष को परिसाक्ष्य के द्वारा यह साबित करना है कि क्या दिनांक 03.12.2025 को समय करीब 17.55 बजे वाहद स्थान-सीमा स्तंभ सं.-781/1 ग्राम टाटरगंज थाना-हजारा, जिला-पीलीभीत में अभियुक्त ललित राज पांडे के पास से 06.99 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है, जिसको रखने का उसके पास कोई लाईसेंस नहीं था? अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में **पी०डब्लू०-1 एस.आई. राजकुमार** की मुख्यपृच्छा अंकित की गई जिसमे साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि घटना दिनांक 03.12.2025 की है। उस दिन वह जी.डी. 21 समय 17.55 बजे अपने हमराहीयानो के साथ चौकी कंबोज नगर ग्राम टाटरगंज में मामूर था। जब वे लोग गश्त करते हुए पिलर नंबर 786 पर पहुंचे तो SSB की टीम सहायक कमांडेंट श्री योगेंद्र सिंह के साथ मिला तथा वे लोग संयुक्त रूप से पिलर नंबर 784, पिलर नंबर 783 की तरफ गश्त कर रहे थे, द्वारा मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मादक पदार्थों को नेपाल ले जा रहा है। सूचना एस.एच.ओ. साहब को दी तथा मुखबिर को साथ लेकर उसके बताए स्थान पर चल दिए। पिलर नंबर 783 से पहले गन्ने के खेत में छिपकर आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगे। मुखबिर व्यक्ति को दिखाकर चला गया। उस व्यक्ति को टॉर्च डालकर रूकने का इशारा किया तो वह नहीं रुका। समय 20.28 बजे उसे घेर कर पकड़ लिया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम ललित राज पांडे निवासी बेला डांडी, थाना बेलाडांडी कंचनपुर नेपाल बताया तथा अपने पास स्मैक होना बताया। सुनकर मुल्जिम को उसके विधिक अधिकारों से बताया कि आप अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकते हैं तो उसने सीओ साहब के समक्ष तलाशी देने को कहा। सी.ओ. साहब को बुलाया। कुछ देर बाद वह मौके पर आ गए। उसका सहमति पत्र बनाया जो प्रपत्र क 7 है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया। जामा तलाशी लेने पर उसके पर पहने लोअर की जेब से सफेद पन्नी में पाउडर बरामद हुआ जो स्मैक जैसा प्रतीत हो रहा था। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौलने पर स्मैक का वजन 6.99 ग्राम आया। लाइसेंस तलब किया। दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त को जुर्म से अवगत कराकर हिरासत पुलिस में लिया गया। जनता के गवाहान दस्तयाब किये। रात होने के कारण नहीं मिल सके। दौरान गिरफ्तारी मानवाधिकार व उच्चतम न्यायालय के आदेश व निर्देशों का अनुपालन किया गया। फर्द मौके पर उसके द्वारा लिखी गई जो प्रपत्र

संख्या क 5/1 लगायत क 5/2 है। शिनाख्त किया। फर्द पर प्रदर्श क 2 डाला गया। घटना की सूचना लिखित रूप से उच्च अधिकारियों को दी गई थी। धारा 57 प्रार्थना पत्र पर प्रदर्श क 3 तीन व धारा 42 की सूचना पत्र पर प्रदर्श क 4 डाला गया। गिरफ्तारी प्रपत्र पर प्रदर्श क 5 और सूचना प्रपत्र पर प्रदर्श क 6 डाला गया। संपूर्ण माल मौके पर सील कर नमूना मोहर बनाया गया था जिस पर प्रदर्श क 7 डाला गया। रवानगी जी.डी. पर प्रदर्श क 8 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे के विवेचक श्री ऋषिपाल गिरी व एफ.आई.आर. लेखक श्री रामदुलारे सरोज उसके साथ तैनात रहे हैं। इनको लिखते पढ़ते देखा है। वह इनका हस्तलेख व हस्ताक्षर शिनाख्त करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क 9 व कायमी जी.डी. पर प्रदर्श क 10 डाला गया। विवेचक द्वारा तैयार की गई नक्शा नजरी पर प्रदर्श क 11 व आरोप पत्र पर प्रदर्श क 12 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

(11) बचाव पक्ष द्वारा किये गये जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि गश्त से वे लोग जी.डी. नंबर 21 समय 17:00 बजे के बाद रवाना हुए। रवाना होकर सबसे पहले चौकी कंबोज नगर पहुंचे। पिलर नंबर 784 से पिलर नंबर 783 के आसपास मुखबिर ने सूचना दी थी। करीब 6 बजे से 7:00 बजे के बीच की सूचना मिली। मुखबिर खेत पर काम कर रहा था। उसने सूचना दी थी। कुछ समय गन्ने के खेत में इंतजार किया था। मुखबिर इशारा करके चला गया। सामने से आने वाला वही व्यक्ति है जो मादक पदार्थ है ले जा रहा है। मुखबिर ने नाम पता नहीं बताया। उसने मुखबिर से गवाही को नहीं कहा था नवक्त व जंगल होने के कारण स्वतंत्र गवाह दस्तयाब नहीं हो सके थे। गश्त में उसके साथ गौरव कुमार व सहायक कमांडेंट एस.एस.बी. व उनकी पूरी टीम थी। एस.एस.बी. की टीम में सहायक कमांडेंट श्री जोगेंद्र सिंह, ए.एस.आई. हरीश कुमार गोड़ व सतीश कुमार आदि थे। गस्त वे लोग पैदल कर रहे थे। अभियुक्त भी पैदल आ रहा था। जहां अभियुक्त को पकड़ा वह जगह पिलर नंबर 783 से पहले पकड़ा था। पिलर के पास नाला है। जंगल नहीं है। वह रास्ता नेपाल जाने की पगडंडी है। आम रास्ता नहीं है। अभियुक्त को जब पकड़ा था। उस समय 20.28 बजा था। पकड़ने के बाद एस.एच.ओ. साहब को सी.यू.जी. नंबर पर सी.ओ. साहब की सूचना दी थी। सी.ओ. साहब को सीयूजी नंबर पर अपने नंबर से सूचना दी थी। यह बात उसने अपने प्रपत्र में नहीं लिखा है न ही सूचना देने का समय अंकित है। सी.ओ. साहब 22.55 बजे के आसपास पहुंचे थे। सी.ओ. साहब ने मौके पर पहुंचने का समय फर्द में लिखा है। उसने मुल्जिम की गिरफ्तारी/बरामदगी की वीडियो

बनाई थी। वीडियो में सी.ओ. साहब मौजूद नहीं थे। विवेचक ने उसका बयान लिया था। थाने से रावण की 03.12.2025 की 17.55 बजे की थी, जो उसी दिन कायम हुई थी। जो वह लेकर निकला था। 04.12.2025 की रवानगी जी.डी. कायम कराई थी न ही 04.12.2025 की।

(12) उल्लेखनीय है कि पी.डब्लयू-1 राज कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी मुख्य परीक्षा में दिये गये अधिकांश कथनों को दोहराया है। इस स्तर पर अभियुक्त ललित राज पांडे द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार करने के प्रार्थना पत्र पर बल दिया गया। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा बताया गया कि वह अपना जुर्म स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। यदि वह अपना जुर्म स्वीकार करता है, तो उसे विधि अनुसार दंण्डित किया जा सकता है और उसका बयान साक्ष्य में उसके विरूद्ध पढ़ा जा सकता है। इसके उपरांत भी अभियुक्त द्वारा जुर्म संस्वीकृति पर बल दिया गया। अतः अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने गवाह के बयान को सही होना कहा तथा अभियुक्त द्वारा यह भी कहा गया कि यह उसका प्रथम अपराध है, जिसे वह स्वीकार करता है तथा भविष्य में वह कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(13) अभियुक्त को धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दोषसिद्ध धारित किया गया। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। दण्ड के बिन्दू पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक-31.03.2026

(महेशा नंद झा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)
कोर्ट संख्या-03, पीलीभीत।

(1) पत्रावली लंच बाद पेश हुई। दोषसिद्ध को दण्ड के बिन्दू पर सुना गया। दोषसिद्धि के विद्वान अधिवक्ता द्वरा कथन किया गया है कि दोषसिद्ध गरीब है उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। अपने परिवार का एकमात्र अर्जक सदस्य है और उसका परिवार आर्थिक रूप से उसी पर निर्भर है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। वह मजदूर व्यक्ति है। अभियुक्त/दोषसिद्ध पूर्व में किसी मामले में दोषसिद्ध नहीं है। उसे कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

(2) अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि दोषसिद्ध के अध्यासन से 06.99 ग्राम स्मैक बरामद होने का तथ्य, दोषसिद्ध द्वारा स्वयं अपराध की संस्वीकृति की गयी है। दोषसिद्ध का यह अपराध समाज विरोधी अपराध व आर्थिक अपराध की कोटि में आता है और गंभीर प्रकृति का है। इस प्रकार दोषसिद्ध दण्ड की मात्रा के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की सहानुभूति प्राप्त करने का अधिकारी नही है और उसको अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

(3) मैंने अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि दौरान गश्त मामूर पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किये गये दोषसिद्ध ललित राज पांडे की जामा तलाशी से 06.99 ग्राम स्मैक बरामद होने तथा दौरान विचारण दोषसिद्ध द्वारा कारित अपराध को स्वीकार किये जाने के आधार पर तद्नुसार दोषसिद्ध को अपराध उपरोक्त में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/21 के तहत दण्डित किये जाने की याचना की गयी है। यद्यपि कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। परन्तु दोषसिद्ध द्वारा कारित अपराध को स्वीकार किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि दोषसिद्ध से बरामद माल नाजायज स्मैक था। परन्तु बरामद स्मैक की मात्रा व्यावसायिक कोटि की नहीं है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा दोषसिद्ध का कोई आपराधिक इतिहास न होने का कथन किया गया है। दोषसिद्ध के पूर्वदोष सिद्ध होने का भी कथन नहीं किया गया है।

(4) अतः दोषसिद्ध द्वारा कारित अपराध की संस्वीकृति को तथा दोषसिद्ध द्वारा किये गये कथन कि वह अत्यधिक निर्धन व्यक्ति है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन करता है। दोषसिद्ध की निर्धनता को तथा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, बरामद माल की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये अपराध उपरोक्त में दोषसिद्ध ललित राज पांडे को 6 माह के सश्रम कारावास व मु० 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(महेशा नंद झा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट), कोर्ट संख्या-03, पीलीभीत।

आदेश

(1) एतदद्वारा विशेष सत्र परीक्षण सं0-171/2026, अ 0 सं0-66/2022, अंतर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना-हजारा, जिला पीलीभीत में दोषसिद्ध ललित राज पांडे को 6 माह के सश्रम कारावास व मु० 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दोषसिद्ध द्वारा 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगती जावेगी।

(2) दोषसिद्ध द्वारा जेल में बिताई गई अवधि उसके कारावास की कुल अवधि की गणना में समायोजित की जाये।

(3) दोषसिद्ध का सजायावी वारंट तद्नुसार तैयार कर कारागार प्रेषित किया जाये।

(4) माल मुकदमाती अपील अवधि बीतने के बाद नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांक-31.03.2026

(महेशा नंद झा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)
कोर्ट संख्या-03, पीलीभीत।

निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उद्-घोषित किया गया।

दिनांक-31.03.2026

(महेशा नंद झा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)
कोर्ट संख्या-03, पीलीभीत।